

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.5(17)गृह-1 /2022,

जयपुर, दिनांक:- 17.04.2023

आज्ञा

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.03.2023 की अभिशंषा-अनुसार निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2022-23 की रिक्ति के विरुद्ध सहायक निदेशक से उप निदेशक के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

| क्र.सं. | नाम                       | वर्ग    | पदोन्नति वर्ष | दिनांक     |
|---------|---------------------------|---------|---------------|------------|
| 1       | डॉ. वी.वेंकटेश            | सामान्य | 2022-23       | 01.04.2022 |
| 2       | डॉ. रमेश चौधरी            | सामान्य | 2022-23       | 01.04.2022 |
| 3       | डॉ. विजेन्द्र सिंह        | सामान्य | 2022-23       | 09.09.2022 |
| 4       | डॉ. राजेश कुमार           | सामान्य | 2022-23       | 09.09.2022 |
| 5       | डॉ. शालू मलिक             | सामान्य | 2022-23       | 09.09.2022 |
| 6       | डॉ. यजुला गुप्ता          | सामान्य | 2022-23       | 09.09.2022 |
| 7       | डॉ. संजय कुमार माथुर      | सामान्य | 2022-23       | 09.09.2022 |
| 8       | श्री नरेन्द्र कुमार मौर्य | एस.सी.  | 2022-23       | 09.09.2022 |

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारीगण अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

उक्त अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से वेतन देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

**प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, गृह विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग।
5. निदेशक, एफएसएल, राजस्थान जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

**राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग**

**क्रमांक:- प.5(1.7)गृह-1 /2022**

**जयपुर, दिनांक:- 17.04.2023**

**आज्ञा**

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.03.2023 की अभिशंषा-अनुसार निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2022-23 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैविक) से सहायक निदेशक (जैविक) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

| क्र.सं. | नाम              | वर्ग    | पदोन्नति वर्ष | दिनांक     |
|---------|------------------|---------|---------------|------------|
| 1       | डॉ. पंकज पुरोहित | सामान्य | 2022-23       | 01.04.2022 |

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

उक्त अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से वेतन देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

**प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, गृह विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग।
5. निदेशक, एफएसएल, राजस्थान जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.5(17)गृह-1 /2022

जयपुर, दिनांक:- 17.04.2023

आज्ञा

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.03.2023 की अभिशंषा-अनुसार निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2022-23 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विष) से सहायक निदेशक (विष) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

| क.सं. | नाम                      | वर्ग    | पदोन्नति वर्ष | दिनांक     |
|-------|--------------------------|---------|---------------|------------|
| 1     | डॉ. ऋतु चौधरी            | सामान्य | 2022-23       | 09.09.2022 |
| 2     | श्रीमती सुमन बुढानिया    | सामान्य | 2022-23       | 09.09.2022 |
| 3     | श्री प्रमोद कुमार गुप्ता | सामान्य | 2022-23       | 09.09.2022 |
| 4     | श्रीमती नीलम गौड         | सामान्य | 2022-23       | 09.09.2022 |

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारीगण अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

उक्त अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से वेतन देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

**प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, गृह विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग।
5. निदेशक, एफएसएल, राजस्थान जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस



राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.5(17)गृह-1 /2022

जयपुर, दिनांक:- 17.04.2023

आज्ञा

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.03.2023 की अभिशंषा-अनुसार निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2022-23 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (सीरम) से सहायक निदेशक (सीरम) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

| क्र.सं. | नाम                  | वर्ग    | पदोन्नति वर्ष | दिनांक     |
|---------|----------------------|---------|---------------|------------|
| 1       | श्री अभय प्रताप सिंह | सामान्य | 2022-23       | 09.09.2022 |
| 2       | डॉ. अजय कुमार टिलावत | सामान्य | 2022-23       | 09.09.2022 |

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारीगण अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

उक्त अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से वेतन देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

**प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, गृह विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग।
5. निदेशक, एफएसएल, राजस्थान जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस